"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 552] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2023 — अश्विन 19, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

अधिसूचना

क.बी–1–20/2014/एक/4. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा भार्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

नियम

1 **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**.– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 कहलायेंगे।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 **परिभाषाएं**.– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भाासन;
(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) ''**परीक्षा**'' से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
(घ) ''**शासन**'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
(ड.) ''**राज्यपाल**'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(च) ''**अन्य पिछड़ा वर्ग**'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
(छ) ''**अनुसूची**'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(ज) ''**अनुसूचित जाति**'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
(झ) ''**अनुसूचित जनजाति**'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
(ञ) ''**सेवा**'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा;
(ट) ''**राज्य**'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3 **विस्तार तथा लागू होना**.– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4 **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये जाएं।

5 **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6 **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अधीनस्थ प्रशासनिक/कार्यपालिक सेवा के सदस्यों (डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, भू–अभिलेख अधीक्षक) और आयुक्त/कलेक्टरों के कार्यालय के अधीक्षकों की पदोन्नति द्वारा।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची – दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के परामर्श से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनकों उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गए आदेश द्वारा विहित करें ।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु – (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी, अनुसूची–तीन के कॉलम (3) एवं (4) में दर्शित आयु सीमा की शर्तें पूरी करते हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ के महिला अभ्यर्थियो के लिए भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्च आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाई (यूनिट) की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसका किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी कर दी गई थी अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया हो, अर्थात् :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन सेवान्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन अवधि के वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर, 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है।

(च) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के अनायुक्त (नान कमीशण्ड) अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र

भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं.– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) (क) शुल्क– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) स्वास्थ्य परीक्षा शुल्क– उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को ऐसे शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि शासन द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये ।

9. **निरर्हता.–** (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/नहीं होगी:

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी, को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे चिकित्सीय दृष्टि से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाये, के पश्चात, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह कि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलें का अंतिम विनिश्चम होने तक लंबित रखा जायेगा।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/चयन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) आयोग द्वारा चयन प्रकिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में विसंगति पाई गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा और उसकी चयन/नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

11. **चयन (प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार) द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना शासन के परामर्श से आयोग द्वारा विनिश्चित की जायेगी तथा आयोग, यदि आवश्यक समझे, तो शासन के परामर्श से सेवा में तथा किसी अन्य सेवा में सीधी भर्ती करने के लिए संयुक्त परीक्षा ले सकेगा।

(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रकम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पदों को आरक्षित रखें जायेंगे तथा अन्य प्रावधान भी लागू रहेंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद, छत्तीसगढ़ राज्य के महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे । उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपबंध के अनुसार नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जाएगा।

(6) उपर्युक्त के अतिरिक्त दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिकों के लिए, शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) इस प्रकार रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) के सदस्य हैं की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जाएगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपर्युक्त के अतिरिक्त, उन अभ्यर्थियों, जो महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जिन्हें आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किया जाये, की भी नियुक्ति पर उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग द्वारा उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अधीन, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कतिपय कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों

(गैर–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) के संबंध में अनुभव की शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची**.– (1) आयोग, ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से, जैसा कि आयोग अवधारित करें, अर्ह हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उक्त स्तर से अर्ह न हो, किन्तु प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरुप चयनित किये जाये, उनके (अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में व्यवस्थित सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा तथा चयन सूची की वैधता, शासन को नियुक्ति के लिये भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष के लिये होगी ।

(2) उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जाएगी, ऐसे अभ्यर्थियों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदो के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, शासन को ऐसे चयन सूची भेजे जाने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण :– प्रत्येक प्रवर्ग के लिए रिक्त पद की 25% तक संख्या के आंकलन के लिए इसे पूर्णांक में लाने हेतु, दशमलव अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जाएगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) तथा (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची, शासन को अग्रेषित करेगा, किन्तु, प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम उप–नियम (1) के अनुसार सूची में आये हो।

(6) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने

के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे ।

(8) यदि शासन विधिमान्य युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति के लिए अनुशंसा करता है तो उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार आयोग, प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित नामों की अनुशंसा कर सकेगा।

(9) यदि शासन विधिमान्य कारण दर्शाते हुए अनुशंसा करता है तो आयोग, चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह से अनधिक अवधि की वृद्धि कर सकेगा।

(10) मुख्य चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की कालावधि की वृद्धि किये जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाएगा।

(11) आयोग उप–नियम (9) में यथा दर्शित चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि हेतु तब तक कोई विचार नहीं करेगा, जब तक कि शासन ने विधिमान्य कारण दर्शाते हुए, वैधता अवधि में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव न किया हो।

13. **परिवीक्षा.**– (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) शासन, पर्याप्त कारण होने पर, परिवीक्षा की कालावधि को आगामी 1 वर्ष की कालावधि के लिए और बढ़ा सकेगा।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान किसी भी समय परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्त कर सकेगा, यदि शासन की यह राय है कि उसमें उपयुक्त शासकीय सेवा बनने की संभावना नहीं है।

(4) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और उसे उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी।

(5) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो विहित विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, की सेवाएं भी परिवीक्षा अवधि के अन्त में समाप्त की जा सकेगी।

(6) सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी कर लेने तथा विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उनके लिए स्थायी रिक्त स्थान विद्यमान हो अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं किया जा सका और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा, उसे स्थायी कर दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब उसका वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा ।

(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे न तो स्थायी किया गया हो और न ही उपर्युक्त नियम (6) के अधीन उसके पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया गया हो और न ही, उसे उपर्युक्त उप–नियम (4) तथा (5) के अधीन सेवा से मुक्त किया गया हो, को परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तारीख से एक अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और उसकी सेवा की शर्ते, छत्तीसगढ़ (अस्थायी तथा अर्ध–स्थायी सेवा) नियम, 1960 द्वारा शासित होगीः

परन्तु यह कि उसकी सेवायें वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 क्र. 372/260/वि./नि. /चार/2020, दिनांक 29.07.2020 द्वारा शासित होगी।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 1–1/2016/1–3, दिनांक 15.02. 2017 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परस्पर अंतिम वरिष्ठता का निर्धारण, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्राप्त अंकों को 88 % तथा परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों को 12% अधिमान्यता देते हुए, कुल अभिप्राप्त अंकों को जोड़कर, उनकी मेरिट सूची के अनुसार की जाएगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये प्रारम्भिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होगेः

परन्तु इस उप–नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) पदोन्नतियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन** :– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, चयन समिति, राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये, सभी तहसीलदारों/भू–अभिलेख अधीक्षकों तथा आयुक्त/कलेक्टर कार्यालयों के अधीक्षकों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष, जिसमें चयन समिति की बैठक हो रही है, की 1 जनवरी को इस हैसियत से 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों और जो उप–नियम (3) में विहित पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों ।

(2) केवल ऐसे तहसीलदारों/अधीक्षक, भू–अभिलेख और आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों के नाम पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने विहित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली हो, तथापि ऐसे समस्त व्यक्तियों के नामों पर, जिन्होंने विहित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली है, विचार करना आवश्यक नहीं होगा। केवल उतनी ही संख्या में व्यक्तियों के लिए वरिष्ठता क्रम में विचार किया जाएगा, जितनी कि 1 वर्ष की कालावधि के दौरान अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त हों।

(3) तहसीलदार/भू–अभिलेख अधीक्षक या आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय का अधीक्षक राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उससे राजस्व विधि एवं प्रक्रिया, आपराधिक विधि एवं प्रक्रिया, लेखा तथा सिविल विधि एवं प्रक्रिया की विभागीय परीक्षाएं उच्च या निम्न स्तर से उत्तीर्ण न कर ली हो।

उसे अपनी पदोन्नति के 3 वर्षों की अवधि के भीतर सिविल, विधि और लेखा की शेष विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति –(1) संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की 1 जनवरी को, अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो न कि फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनान में आने की तारीख से।

(2) ऐसे मामलों जहां पदोन्नति वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियारिटी–कम–फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा। केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(3) पदोन्नति, शासन द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**– (1) चयन समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हो और जिन्हें चयन समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची उस वर्ष के दौरान सेवानिवृति तथा पदोन्नति के कारण संभावित रिक्तयों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, उक्त अवधि में होने वाले अप्रत्याशित रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से न्यूनतम 01 तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम होंगे।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए, किया जाने वाला चयन, वरिष्ठता पर समुचित रूप में ध्यान देते हुए, योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम, अधीनस्थ कार्यपालक सेवा/आयुक्त/कलेक्टर के कार्यालयों के अधीक्षकों की पदक्रम सूची में वरिष्ठता क्रम में होंगे।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान अधीनस्थ कार्यपालक सेवा के किसी सदस्य एवं आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षक का अधिक्रमण किया

जाना प्रस्तावित हो तो चयन समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी।

17. **आयोग से परामर्श.**– (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, बाद में शासन द्वारा निम्नलिखित के साथ आयोग को भेजी जाएगी;

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) अधीनस्थ कार्यपालक सेवा के सभी सदस्यों और अधीक्षकों के अभिलेख, जिनका अधिक्रमण प्रस्तावित किया गया हो;

(तीन) अधीनस्थ कार्यपालक सेवा के किसी सदस्य/अधीक्षकों के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में चयन समिति द्वारा लेखबद्ध कारण; और

(चार) चयन समिति के अनुशंसा पर शासन के विचार।

(2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य उपस्थित रहे हों और यदि बैठक के कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी तथा यह माना जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है एवं आयोग से पृथक परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा ।

18. **चयन सूची.**– (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, तो सूची अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में आयोग, शासन को सूचित करेगा तथा शासन, उस पर यदि कोई मत प्रकट करे तो उस पर ध्यान देते हुये ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित कर सकेगा।

(3) आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित सूची, सेवा के सदस्यों की, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में दर्शित पद से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में दर्शित पद पर पदोन्नत करने के लिये चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक नियम 16 के उप–नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न कर लिया जाए।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, उसी क्रम में की जाएगी, जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन समिति सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्त के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा सेवा में प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाए, जो शासन की राय में, उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

(3) (एक) चयन सूची से कोई कर्मचारी साधारणतः पदोन्नति द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा में कनिष्ठ वेतनमान पर 2 वर्ष के लिए स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि पद के लिए उसकी उपयुक्तता निर्णित की जा सके :

परन्तु ऐसी स्थानापन्नता की कालावधि के दौरान, यदि वह सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाए, तो उसे मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से, स्थानापन्नता की कालावधि को 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगा।

(4) पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया अधीनस्थ कार्यपालक सेवा का प्रत्येक सदस्य, नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर सिविल विधि तथा प्रक्रिया में विहित विभागीय परीक्षा उच्च मानक पर उत्तीर्ण करेगा, जब तक कि उसे उससे छूट न दी गई हो, यदि वह ऐसा न कर सके, तो उसे प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा या उसे आगे वेतनवृद्धियां नहीं दी जायेगी।

(5) पदोन्नति पर डिप्टी कलेक्टर के वेतनमान में प्रथम वेतनवृद्धि, आयुक्त/कलेक्टर के कार्यालय के अधीक्षकों को केवल उस स्थिति में दी जाएगी, जब उन्होंने सभी विभागीय परीक्षाएं, निम्न मानक पर उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा राजस्व तथा आपराधिक विधि में विभागीय परीक्षाएं उच्च मानक पर उत्तीर्ण कर ली हो। दूसरी वेतन वृद्धि का भुगतान, केवल उस स्थिति में किया जाएगा, जब सभी विभागीय परीक्षाएं, उच्च मानक पर उत्तीर्ण कर ली गई हो।

20. **चयन सूची से सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों का स्थायीकरण /उपयुक्तता**–चयन सूची से सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी को, उस स्थिति में स्थायी किया जा सकेगा, जब उसने सभी विहित विभागीय परीक्षाएं उच्च मानक स्तर पर उत्तीर्ण कर ली हो या उसे उससे छूट दे दी गई हो तथा वह अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त पाया गया हो।

21. **राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें, आदि**–(1) राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिये विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कनिष्ठ वेतनमान में उस वर्ष, जिसमें चयन किया जाना हो, की 1 जनवरी को, 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो :

परन्तु वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए केवल वे अधिकारी पात्र होंगे, जिन्हें सेवा में स्थायी कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4–1/2014/1–3, दिनांक 03.06.2015 के अध्यधीन होगी ।

टीप – (1) अर्हकारी सेवा हेतु संगणना की रीति – संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय चयन समिति/छानबीन समिति की बैठक आहूत की जाती है, की 1 जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य, पद के फीड़र ग्रेड/वेतनमान में नियुक्त किया गया है, जिसमें से उच्चतर ग्रेड/वेतनमान में क्रमोन्नत किया जाना है, किन्तु निम्नतर ग्रेड/वेतनमान में आने की वास्तविक तारीख से, गणना नहीं की जायेगी ।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों के कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में चयन किये जाने हेतु उसकी नियुक्ति पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(3) चयन ''वरिष्ठता–सह–योग्यता'' के आधार पर किया जाएगा।

22. **राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें, आदि.**–(1) राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने उस वर्ष, जिसमें चयन किया जाना हो, की 1 जनवरी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो ।

टीप– (1) अर्हकारी सेवा हेतु संगणना की रीति – संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की जाती है, की 1 जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किया गया है और कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त होने की वास्तविक तारीख से नहीं ।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों की, सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किये जाने हेतु समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(3) चयन ''वरिष्ठता–सह–योग्यता'' के आधार पर किया जाएगा।

23. **राज्य प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें, आदि.–** (1) राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने उस वर्ष, जिसमें चयन किया जाना हो, की 1 जनवरी को, 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जो प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो।

टीप– अर्हकारी सेवा हेतु संगणना की रीति – संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की जाती है, की 1 जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किया गया है और कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त होने की वास्तविक तारीख से नहीं।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों की, सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किए जाने हेतु समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(3) चयन ''वरिष्ठता–सह–योग्यता'' के आधार पर किया जायेगा।

24. **राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें, आदि.–** (1) राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने उस वर्ष, जिसमें चयन किया जाना है, की 1 जनवरी को 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या 54 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो या दोंनो में से जो भी पहले हो तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो।

टीप – अर्हकारी सेवा हेतु संगणना की रीति – संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की जाती है, की 1 जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किया गया है और कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त होने की वास्तविक तारीख से नहीं।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों की, सेवा की अधिसमय श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किए जाने हेतु, समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(3) चयन ''वरिष्ठता–सह–योग्यता'' के आधार पर किया जायेगा।

25. **वरिष्ठता.**– सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 के उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगी।

26. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

27. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है जो उसे उचित और न्यायपूर्ण प्रतीत होती हो:

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

28. **निरसन और व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैः

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन नियमों की कोई भी बात, शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)
(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

स.क्र.	सेवा हेतु स्वीकृत वेतन मैट्रिक्स की श्रेणियों का विवरण	वेतन मैट्रिक्स लेवल	प्रत्येक वेतनमान में स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अपर कलेक्टर, (अधिसमय वेतनमान)	लेवल–16	15	प्रथम श्रेणी
2.	अपर कलेक्टर, (वरिष्ठ प्रवर श्रेणी)	लेवल–15	29	प्रथम श्रेणी
3.	अपर कलेक्टर, (प्रवर श्रेणी)	लेवल–14	88	प्रथम श्रेणी
4.	संयुक्त कलेक्टर, (वरिष्ठ श्रेणी)	लेवल–13	123	प्रथम श्रेणी
5.	डिप्टी कलेक्टर, (कनिष्ठ श्रेणी)	लेवल–12	235	द्वितीय श्रेणी

अनुसूची–दो–क
(नियम 6 देखिये)
(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

सेवा में स्वीकृत पदों की कुल संख्या	कॉलम (1) में दर्शित भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		टिप्पणियां
	सीधी भर्ती	पदोन्नति	
(1)	(2)	(3)	(4)
490	60%	40%	राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति, तहसीलदार /अधीक्षक, भू–अभिलेख की श्रेणी से की जाएगी (इन पदों में से 04 पद, पात्र तथा उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए आयुक्तों तथा कलेक्टरों के कार्यालय के अधीक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे.)

अनुसूची–दो–ख
(नियम 6 देखिये)

(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

स.क.	रा.प्र.से. में स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वेतन मैट्रिक्स का नाम जिससे नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी जानी है	वेतन मैट्रिक्स का नाम जिस पर नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी जानी है	वर्ष की एक जनवरी को उच्चतर वेतनमान के लिये अपेक्षित अर्हकारी सेवा का अनुभव	नियत प्रतिशत तथा पदों की अधिकतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	490	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान वेतन–मैट्रिक्स लेवल–15	अधिसमय वेतनमान वेतन–मैट्रिक्स लेवल–16	नियम 24 के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 3 % अर्थात् 15 पद
2.		प्रवर श्रेणी वेतनमान वेतन–मैट्रिक्स लेवल–14	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान वेतन–मैट्रिक्स लेवल–15	नियम 23 के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 6 % अर्थात् 29 पद
3.		वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान वेतन–मैट्रिक्स लेवल–13	प्रवर श्रेणी वेतनमान वेतन–मैट्रिक्स लेवल–14	नियम 22 के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 18 % अर्थात् 88 पद
4.		कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान वेतन–मैट्रिक्स लेवल–12	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान वेतन–मैट्रिक्स लेवल–13	नियम 21 के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 25 % अर्थात् 123 पद

अनुसूची – तीन
(नियम 8 देखिये)

सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (सामान्य श्रेणी)	सीधी भर्ती के लिये		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (व्यवसायिक एवं तकनीकी उपाधि सहित)	
	21 वर्ष	30 वर्ष		

टीप :– छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार

(नियम 14, 15, 21, 22, 23 एवं 24 देखिये)

स.क.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति/ नियुक्ति की जानी है	पात्रता की शर्ते	सेवा का नाम/ वेतनमान जिस पर पदोन्नति/ नियुक्ति की जानी है	चयन समिति के सदस्यों का नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	नियम 24 के अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान	(1). अपर मुख्य सचिव – **अध्यक्ष** (2) अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सा.प्र.वि. –**सदस्य** (3) अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग – **सदस्य** (4) मुख्य सचिव द्वारा नामांकित, जो सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ हो, और जो उप–सचिव की श्रेणी से निम्न का न हो –**सदस्य–सचिव** **टीपः** यदि समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नाम निर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते है, तो उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य, समिति में सम्मिलित किया जाएगा और समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।	
2.	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा प्रवर श्रेणी वेतनमान	नियम 23 के अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	– तदैव–	–
3.	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतनमान	नियम 22 के अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा, प्रवर श्रेणी वेतनमान	– तदैव–	–

4.	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान	नियम 21 के अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	– तदैव–	–
5.	कनिष्ठ कार्यपालिक सेवा (तहसीलदार तथा भू–अभिलेख अधीक्षक) तथा आयुक्त/कलेक्टर कार्यालयों के अधीक्षक	नियम 15 के अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान	(1). अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का सदस्य – **अध्यक्ष** (2) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन –**सदस्य** (3) अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग – **सदस्य** (4) अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (5) मुख्य सचिव द्वारा नामांकित, जो सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ हो, और जो उप–सचिव की श्रेणी से निम्न का न हो –**सदस्य– सदस्य** **टीपः–** यदि समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नाम निर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते है, तो उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य, समिति में सम्मिलित किया जाएगा और समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।	

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

क्रमांक बी–1–20/2014/एक/4. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी–1–20/2014/1/4 दिनांक 11 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 11th October 2023

NOTIFICATION

No. B-1-20/2014/1/4.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Chhattisgarh State Administrative Services, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Administrative Services (Classification, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Appointing Authority**" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;

(b) "**Commission**" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "**Examination**" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;

(d) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(g) "**Schedule**" means a Schedule appended to these rules;

(h) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "**Service**" means the Chhattisgarh State Administrative Service;

(k) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice of the generality of the provisions in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the Service.- The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts as specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay, etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.-(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, through selection (competitive examination and interview);

(b) by the promotion of members of the Sub-ordinate Administrative/ Executive Services (Deputy Collector, Tahsildar, Superintendent of Land Records) and Superintendents of Office of the Commissioner/Collector.

(2) The number of the persons recruited under clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-Il of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4 Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, then Government may, in consultation with the Commission, adopt

such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued, from time to time by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment to the service.-** All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to appear for competitive examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) **Age** - (a) The candidate must have fulfill the condition of age limit as specified in column (3) and (4) of Schedule-III on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidates of Chhattisgarh in accordance with the provisions of rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) Those candidates whether temporary or permanent Government Servants should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of the enrolment.

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(iv) Ex-servicemen discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme of Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Department;

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years;

Note-(1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(j) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Women/Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above;

(k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable;

(II) Educational qualifications- The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in the Schedule-Ill.

(III) (a) **Fees**- The candidate must pay the fees as prescribed by Commission.

(b) **Medical Examination Fees**- Those candidates, who has been required to appear before Medical Board, must pay the fee to the Chairman, Medical Board as prescribed by Government from time to time, before medical test.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Commission to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.– (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by

the Commission shall not be allowed to appear in the examination/ selection.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government by the Commission, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated.

11. Direct recruitment by selection (competitive examination and interview).- (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may determine, in consultation with the Commission from time to time,

(2) For competitive examination syllabus and scheme of examination shall be decided by Commission in consultation with the Government and if Commission, finds necessary then with the consultation of Government, may take combined examination for direct recruitment in service or other services.

(3) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as may be determined by the Commission.

(4) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions

contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 2I of 1994) and other provisions shall also be applicable.

(5) There shall be 30 percent of posts shall be reserved for women candidates of Chhattisgarh, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The above reservation is horizontal and Compartment wise. Preference shall be given to widow and divorcee for appointment as per above provision.

(6) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Rules/ Order/Instructions issued by the Government, from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition of above the candidates who may be women/persons with disability/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in

which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, then the Competent Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of candidates recommended by the Commission.- (1) The Commission shall prepare and forward a list to the Government, a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and of candidates belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes and

Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration and for those candidates of each category who are selected from the categories of women/persons with disabilities/ex-serviceman reservation. The select list is prepared in merit from above categories and validity of select list is one year from the date of forwarding it to Government for appointment.

(2) The lists prepared under sub-rule (1), shall be published for general information in the website of Commission.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be for one and half year from the date of sending of such select list to the Government.

Explanation- For each category for calculation of 25% of vacancies, decimal shall be increased to next complete number.

(4) The Commission shall forward select list and waiting list formed under provisions sub-rule (1) and (3) to Government, but appointment from waiting list shall not be done without consent of Commission.

(5) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list as per sub-rule (1).

(6) The inclusion of a candidate's name in the select list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period or resigns or for any reasons he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If Government with valid reasons recommended for appointment from waiting list then as per above provisions Commission can recommended the names included in waiting list.

(9) The Commission can extend validity of "select list" for a period not exceeding 6 months, if Government with valid reasons recommended it.

(10) In the event of extension of validity of main select list for a period of 6 months, validity of waiting list shall automatically extended by 6 months.

(11) The Commission shall not consider extension of validity of select list as shown in sub-rule (9) unless Government with valid reasons not proposed extension in validity.

13. Probation.- (1) Every person directly recruited in the service shall be appointed on probation for a period of 3 years.

(2) The Government may, for sufficient reasons, extend the period of probation by a further period of 1 year.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be for one and half year from the date of sending of such select list to the Government.

(4) The probationer shall undergo the prescribed training and pass the prescribed departmental examination by the higher standards during the period of his probation.

(5) The services of the probationer who does not pass the prescribed departmental examinations or who is found unsuitable for the service may also be terminated at the end of the period of probation.

(6) On successful completion of probation and the passing of the prescribed departmental examinations, the probationer shall be confirmed in the service, provided that permanent vacancies available for him, otherwise a certificate shall be issued in his

favour by the Appointing Authority to the effect that the probationer would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and as soon as permanent post become available he will be confirmed in the service. On completion of probation period when he shall be confirmed on that post or service then his pay will be fixed in the minimum in the time scale of that post or service.

(7) A Probationer who has neither been confirmed, nor a certificate issued in his favour under sub-rule (6) above nor discharged from service under sub-rule (4) and (5) above shall have been appointed as a temporary Government servant with effect from the date of expiry of probation and his conditions of his service shall be governed by the Chhattisgarh (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960:

Provided that his services are governed by Finance Department, Finance directions 21/2020 No. 372/260/ Finance/Rules/four/2020, dated 29.07.2020.

(8) As per the General Administration Department Circular No. F 1-1/2016/1-3, dated 15.02.2017, inter-se seniority of the officers of the State Administrative Service appointed on probation by recruited directly shall be determined as per the merit list prepared by adding the total marks obtained, by giving weightage of 88% to the marks obtained in the Public Service Commission Examination and weightage of 12% to the marks obtained in the

examination conducted by Training Institute during the probation period.

14. Appointment by promotion.- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam,1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roaster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority- Appointing Authority shall endorse on the Promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the

provisions of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. Conditions of eligibility for promotion to State Administrative Service.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Selection Committee, shall consider the promotion to the State Administrative Service, the cases of all Tehsildars/ Superintendents of Land Records and Superintendents of Commissioners/Collectors Offices, who have completed on the 1st January of the year of the meeting of the Selection Committee, 5 years of service in such capacity, are within the zone of consideration determined in with the provisions of sub-rule (2) and who fulfill the other conditions of eligibility prescribed in sub-rule (3).

(2) The names of only such Tehsildars / Superintendents of Land records or Superintendents of Commissioner/Collectors Office shall be considered for promotion, who have completed the prescribed minimum length of service. It is however not necessary to consider all the names of such persons who have completed the prescribed minimum length of Service but only

such number of cases of persons shall be considered according to seniority, which shall be sufficient to cover the number of anticipated vacancies during 1 year.

(3) Tesildar/Superintendent of Land records or Superintendent of Commissioner/Collector's office shall not be eligible for promotion to the State Administrative Service unless he has passed by higher or lower standard the departmental examinations in Revenue Law and Procedure, Criminal Law and Procedure, Accounts and Civil Law and Procedure.

He should pass the remaining departmental examinations of Civil, Law and Accounts within a period of 3 years of the date of his promotion.

Explanation- The method of computation for eligibility for promotion- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) In such cases where promotion is to be given on seniority-cum-fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidates, there shall be no grounds for consideration for all categories. Proposal of such numbers of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected

vacant posts due to retirement/promotion during the period of 1 year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the Reservation Roster as determined by the Government.

(4) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and in accordance with the order issued by the General Administration Department from time to time.

16. Preparation of list of suitable candidate.- (1) The Selection Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and as are held by the Selection Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover probable vacancies on account of retirement and promotion during the period of that year. In addition to above, a waiting list is prepared to cover unexpected vacancies during the above period and it consists of for each category minimum 01 and maximum of 25% of vacant posts.

(2) The Selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect, with due regard to seniority.

(3) The name of officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service as per gradation list of Sub-ordinate Executive Service and Superintendents of Commissioners/ Office of the Collectors.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the Sub-ordinate Executive Service and Superintendents of Commissioners/Office of the Collectors, the Selection Committee shall records its reasons in writing for the proposed suppression.

17. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with rule 16, shall then be forwarded to the Commission by the Government alongwith,-

(i) the records of all persons included in the list;

(ii) the records of all members of the Subordinate Executive Service and Superintendents who are proposed to be superseded;

(iii) the reasons as recorded by the Selection Committee for the proposed suppression for any member of the Subordinate Executive Service/ Superintendents; and

(iv) the observations of the Government on the recommendations of the Selection Committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article

320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select List.- (1) The Commission shall consider the list prepared by the Selection Committee along with the other documents received from the Government and unless considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and after taking into the account the comments, if any, of the Government, may approve the list with such modification, if any, as may, in the opinion, be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission shall form the Select List for the members of Service from the post shown in column (2) of Schedule-IV to post shown in column (4) of Schedule- IV.

(4) The Select List shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised with sub-rule (4) of rule 16.

19. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the Select List.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Selection List and the date of the proponed appointment to the service there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for a appointment to the service.

(3) (i) An employee from the select list shall generally be appointed in an officiating capacity by promotion to the Junior Scale of the State Administrative Service for a period of 2 years so that his suitability on that post may be adjudged:

Provided that during the period of such officiating if he is found unsuitable for service he shall be reverted to his original post.

(ii) The Appointing Authority may, for sufficient reasons, extend the period of officiating not exceeding 1 year.

(4) Every member of the Sub-ordinate Executive Service recruited by promotion shall, unless he is exempted, pass the prescribed departmental examination in Civil Law and Procedure by the higher standard within 2 years of from the date of appointment. If he fails to do so, he will either be reverted or will not be granted future increments.

(5) On promotion the first increment in the scale of pay of Deputy Collector shall be payable to the Superintendent of Commissioners/ Office of the Collectors only after all the departmental examinations are cleared by the lower standard or the departmental examinations in Revenue and Criminal Law are passed by higher standard. The second increment would be payable only after all departmental examinations are passed by higher standards.

20. Confirmation/ Suitability of officers appointed to the service from Select List.- An officer appointed to the service from the select list may be confirmed if he has passed all the prescribed departmental examinations by the higher standards or he has been exempted from it and is otherwise found suitable in all results.

21. The conditions of qualification for appointment in Senior Scale of State Administrative Service, etc.- (1) Only such officer of State Administrative Service shall be eligible for consideration in appointment of Senior Scale of pay who has completed the 6 years service on the 1st January of the year in which the selection is made and working in the Junior Pay scale:

Provided that only those officers are eligible for appointment in Senior Scale, who are declared permanent in service:

Provided further that the Circular Number F 4-1/2014/1-3 of the General Administration Department, dated 03.06.2015 shall be subject to.

NOTE- Method of computation for qualifying service- Period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Selection Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the member of State Administrative Service has joined the feeding cadre/pay scale of the post in which higher grade/ pay scale, but not be counted from real date to coming in lower grade/pay scale.

(2) For selection of eligible officers of State Administrative Services from Junior Scale to Senior Scale, their appointment shall be considered by a committee consisting members mentioned in Schedule-IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority-cum-merit".

22. The conditions of qualification for appointment in Selection Grade of State Administrative Service, etc.- (1) Only such officers of the State Administrative Service shall be eligible for consideration in appointment of the selection grade who has completed the 10 years of service on the 1st January of the year in which the selection is made and who is working in the senior grade pay scale.

NOTE- Method of computation for qualifying service- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Selection Committee is called for meeting is done from the calendar when the member of State

Administrative Service appointed in the junior grade pay scale and not from real date of appointment in Junior -Pay-Scale.

(2) For selection in appointment in selection grade of service of eligible officers of State Administrative Service shall be considered by a committee consisting members mentioned in Schedule-IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority-cum-merit".

23. The conditions of qualification for appointment in Senior Selection grade of State Administrative Service, etc.- (1) Only such officer of State Administrative Service shall be eligible for consideration in appointment of Senior Selection Grade who has completed the 16 years service on the 1st January of the year in which the selection is made and working in the Selection Grade pay scale.

NOTE- Method of computation for qualifying service- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Selection Committee is called for meeting is done from the calendar when the member of State Administrative Service appointed in the junior grade pay scale and not from real date of appointment in Junior Pay Scale.

(2) For selection in appointment in selection grade of service of eligible officers of State Administrative Service shall be considered by a committee consisting members mentioned in Schedule-IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority-cum-merit".

24. The conditions of eligibility for appointment in Super time Scale of State Administrative Service etc.- (1) Only such officer of State Administrative Service shall be eligible for consideration in appointment of Super time Scale who has completed the 25 years of service on the 1st January of the year in which the selection is made or completed 54 years of age or whichever is earlier of both, and working in the Senior Selection Grade pay scale.

NOTE- Method of computation for qualifying service- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Selection Committee has called for meeting is done from the calendar when the member of State Administrative Service appointed in the junior grade pay scale and not from real date of appointment in Junior Pay Scale.

(2) For selection in appointment in selection grade of service of eligible officers of State Administrative Service shall be considered by a committee consisting members mentioned in Schedule-IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority-cum-merit".

25. Seniority.- The seniority of persons appointed to the service shall be regulated in accordance with the provisions of rule 12 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

26. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

27. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

28. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes,

Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.D. SINGH, Secretary.

SCHEDULE-I
(See rules 5)
(Chhattisgarh State Administrative Service)

S. No.	Description of categories of pay matrix sanctioned for the Service	Pay Matrix Level	Number of Permanent posts sanctioned in each scale	Classification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Upper Collector (Super Time Scale)	Level-16	15	Class-I
2.	Upper Collector (Senior Selection Grade)	Level-15	29	Class-I
3.	Upper Collector (Selection Grade)	Level-14	88	Class-I
4.	Joint Collector (Senior Scale)	Level-13	123	Class-I
5.	Deputy Collector (Junior Scale)	Level-12	235	Class-II

SCHEDULE-II-A
(See rules 6)
(Chhattisgarh State Administrative Service)

Total number of posts sanctioned in service	Percentage of posts shown in column (1) to be filled in by		Remarks
	Direct Recruitment	Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)
490	60%	40%	Promotion to the junior scale in the State administrative Service will be from Tahsildar/ Superintendent Land Records category (04 post from these posts shall be reserved for the Superintendents of the office of Commissioners and Collectors subject to the availability of eligible and suitable persons.)

SCHEDULE-II-B
(See rules 6)
(Chhattisgarh State Administrative Service)

S.No.	Total number of posts sanctioned in SAS	The Name of the Pay Matrix Level from which Appointment (Kromonnati) is to be given	The Name of the Pay Matrix Level to which Appointment (Kromonnati) is to be given	The requisite qualifying service experience on 1st January of the year for higher scale	Fixed percentage and maximum number of posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	490	Senior Selection Grade Pay Matrix Level-15	Super Time Scale Pay Matrix Level-16	As per rule 24	3% of total post sanctioned in Cadre i.e. 15 posts
2.		Selection Grade Pay Matrix Level-14	Senior Selection Grade Pay Matrix Level- 15	As per rule 23	6% of total post sanctioned in Cadre i.e. 29 posts
3.		Senior Scale Pay Matrix Level-13	Selection Grade Pay Matrix Level-14	As per rule 22	18% of total post sanctioned in Cadre i.e. 88 posts
4.		Junior Scale Pay Matrix Level-12	Senior Scale Pay Matrix Level-13	As per rule 21	25% of total post sanctioned in Cadre i.e. 123 posts

SCHEDULE-III
(See rules 8)

Name of Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualifications Prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chhattisgarh State Administrative Service (Ordinary Grade)	For Direct Recruitment		Bachelor's Degree from a recognized University (Including Professional and Technical Degrees)	
	21 years	30 years		

Note : The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE-IV

(See rules 14,15,21,22,23 and 24)

S.No.	Name of Service or post from which promotion/ appointment is to be made	Conditions of eligibility	The name of Service /Pay Scale to which promotion/ appointment is to be made	Name of the members of the Selection Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Senior Selection Pay Scale of Chhattisgarh State Administrative Service	As per rule 24	Super-time Pay Scale of Chhattisgarh State Administrative Service	(1) Additional Chief Secretary - **Chairman** (2) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Government of Chhattisgarh, General Administration Department - **Member** (3) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Government of Chhattisgarh, Revenue and Disaster Management Department - **Member** (4) Nominated by Chief Secretary who is posted in General	-

				Administration Department and not below the rank of Deputy Secretary **-Member-Secretary** **Note:** If the nominated member other than the member presiding the Committee in respect do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Committee and the number of the members of the Committee shall be extended upto that limits.	
2.	Selection Grade Scale of Chhattisgarh State Administrative Service	As per rule 23	Senior Selection Pay Scale of Chhattisgarh State Administrative Service	--do--	-
3.	Senior Pay Scale of Chhattisgarh State Administrative Service	As per rule 22	Selection Grade Scale of Chhattisgarh State Administrative Service	--do--	-
4.	Junior Pay Scale of Chhattisgarh State Administrative	As per rule 21	Senior Pay Scale of Chhattisgarh State	--do--	-

	Service		Administrative Service		
5.	Junior Executive Service (Tehsildar and Superintendent Land Records) and Superintendents of Office of the Commissioners/ Collectors	As per rule 15	Chhattisgarh State Administrative Service Junior Scale	(1)Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or Member of Public Service Commission nominated by him - **Chairman** (2) Additional Chief Secretary, Government of Chhattisgarh - **Member** (3)Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Government of Chhattisgarh, Revenue and Disaster Management Department – **Member** (4)Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Government of Chhattisgarh, General Administration Department – **Member** (5) Nominated by Chief Secretary who is posted in General Administration Department and not below the rank of Deputy Secretary – **Member-Secretary**	

				Note: If the nominated member other than the member presiding the Committee in respect do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Committee and the number of the members of the Committee shall be extended upto that limits.	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.